


वीधौरा पर सैन्य शूल वाद के साथ पेघडुई
शा.पत्र 212 R.T. Act निर्णित बीजापुर
प्रतिवादी गठ को शूल वाद के निर्णय
होने तक विवादित आरजी में पाबन्द
रिहा जाना है कि वे राजस्व रिवाइ की
प्रत्यास्थिती बनाये रखे। रकम वध मुक्त विल
न करें। सापलान से मास्त करने से
नहीं करें। अन्वले मास्त नहीं करें। विधि
प्रकार की राजस्वगत वदाखलत केजात
करें। पत्रावली केसल सुभार हो। नम्बर
से कम बीजापुर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज